



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली।

**कार्यालय विज्ञप्ति**

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या-4237-SLSA-Vividh-2024 (Panel)(RI/Saran) दिनांकित 06.11.2024 के अनुपालन में पात्र आवेदकगण से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली हेतु मध्यस्थता पैनल में मध्यस्थ के रूप में सम्मिलित होने के निम्नवर्णित पात्रताओं के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-

- क-ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में 10 वर्ष का अनुभव हो,  
ख-सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
ग-ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हो,

आवेदकगण अपना आवेदन निर्धारित योग्यताओं/पात्रताओं के सम्बन्धित प्रपत्रों/प्रमाणपत्रों सहित दिनांक 13.11.2024 की सांय 04:30 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली में प्रस्तुत कर सकते हैं।

उक्त कार्यालय विज्ञप्ति सार्वजनिक प्रकाशन हेतु न्यायालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाये एवं जनपद न्यायालय, शामली की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करायी जाये।

एक प्रति जिला सूचना अधिकारी, शामली को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

( अनिल कुमार )  
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष  
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  
शामली।



कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शामली में मध्यस्थता पैनल में मध्यस्थ  
के रूप में सम्मिलित होने के लिए पात्र आवेदक द्वारा आवेदन पत्र

नाम — .....

नवीनतम  
पासपोर्ट  
साइज  
फोटोग्राफ

पिता का नाम — .....

स्थानीय आवास का पता — .....

मोबाइल नं० एवं ईमेल  
आईडी., यदि कोई हो

स्थायी आवास का पता — .....

पात्रता श्रेणी  
एवं विवरण — .....

अन्य कोई विवरण — .....

दिनांक —

हस्ताक्षर, आवेदक